

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1586]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 8, 2014/श्रावण 17, 1936

No. 1586]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 8, 2014/SHRAVANA 17, 1936

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2014

का.आ. 2027(अ).—केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना संख्या का.आ. 1895 (अ), तारीख 24 जुलाई, 2014 द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग के भंग हो जाने पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 73 के खण्ड (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार के संकल्प के द्वारा 'खादी और ग्रामोद्योग आयुक्त' के नाम पर एक प्राधिकारी की स्थापना करती है, जो संख्यांक 6 (1)/2011-केवीआई-II द्वारा, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खण्ड 1 तारीख 08 अगस्त, 2014, में प्रकाशित की गई थी, अतः केन्द्रीय सरकार आदेश करती है कि उक्त आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री उदय प्रताप सिंह, खादी और ग्रामोद्योग आयुक्त, मुंबई के कृत्यों के निर्वहन उक्त अधिकारी द्वारा अपने वर्तमान प्रभार के साथ-साथ अगले आदेशों तक करेंगे।

[फा. सं. 6 (1)/2011-केवीआई-II]

बी. एच. अनिल कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

ORDER

New Delhi, the 8th August, 2014

S.O. 2027(E).—Whereas upon dissolution of the Khadi and Village Industries Commission *vide* notification No. S.O.1895(E), dated the 24th July, 2014, the Central Government has established an authority in the name of "Commissioner for Khadi and Village Industries" *vide* Resolution of the Central Government under clause (1) of article 73 of the Constitution of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 8th August, 2014, number 6(1)/2011-KVI-II; the Central Government therefore makes an order that Shri Uday Pratap Singh, Chief Executive Officer of the said Commission shall discharge the functions of the Commissioner for Khadi and Village Industries, Mumbai, till further orders in addition to the current charge being handled by the said officer.

[F. No. 6(1)/2011-KVI-II]

B.H. ANIL KUMAR, Jt. Secy.

3145 GI/2014